

**बिहार लोक सेवा आयोग**  
**15, नेहरू पथ, (बेली रोड) पटना-800001**

**विज्ञापन सं.-26/2023 के संबंध में शुद्धि पत्र**

शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु दिनांक-30.05.2023 को आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या-26/2023 में शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या-1010, दिनांक-08.06.2023 के आलोक में नियुक्ति की अनिवार्य अर्हता के संबंध में निम्नलिखित संशोधन किया गया है:-


1. विज्ञापन की कंडिका-4 (A) परन्तुक (V) में वर्णित प्रावधान के अंश यथा "समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री तथा प्राच्यभाषा विशेष से संबंधित डिग्री सामान्य विषय विद्यालय अध्यापक (वर्ग 1-5) पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं है", को विलोपित किया जाता है।
2. विज्ञापन की कंडिका-4 (C) कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह (i) में गणित हेतु अंकित शैक्षणिक योग्यता "स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्यूटर साइंस/रसायन विज्ञान/सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो", के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साइंस में बी.सी.ए. की योग्यता को सम्मिलित माना जायेगा।
3. विज्ञापन की कंडिका-4 (E) में वर्णित कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय-

Biology	Botany/Zoology/Life Science/Bio Science/ Genetics/ Micro Biology/ Biotechnology/Molecular Biology/ Plant Physiology provided they have studies Botany and Zoology at graduation.
---------	--

को विलोपित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

Botany/ Zoology	Botany/Zoology/Life Science/Bio Science/Genetics/ Micro Biology/Biotechnology/ Molecular Biology/Plant Physiology.
--------------------	--

दिनांक-30.05.2023 को प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाय तथा शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

  
9.6.2023

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।